भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2972
(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर के लिए)

एनएससीएसटीआई 2.0 के अंतर्गत जवाबदेही एवं परिणाम मूल्यांकन

2972. श्रीमती महुआ मोइत्रा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी पात्र केंद्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक 2.0 (एनएससीएसटीआई 2.0) के कार्यान्वयन की सीमा तथा इसके अंतर्गत शामिल न किए गए संस्थानों की संख्या संबंधी आकलन किया है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इसके कारण क्या हैं;

(ख) क्या एनएससीएसटीआई 2.0 का प्रशिक्षण की गुणवत्ता, संकाय की दक्षता, प्रशासनिक मानकों तथा अधिगम परिणामों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए किसी स्वतंत्र तृतीय-पक्ष द्वारा निष्पादन मूल्यांकन किया गया है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) ग्रेडिंग मानदंडों सहित निर्धारित मानक प्राप्त करने में विफल रहे संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मूल्यांकन के दौरान चिन्हित की गई कमियों, गैर-अनुपालन के लिए जवाबदेही तंत्र तथा सभी पात्र संस्थानों में एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों (एनएससीएसटीआई) को संशोधित किया गया है और दिनांक 18.07.2025 को इसे एनएससीएसटीआई 2.0 के रूप में शुरू किया गया है। एनएससीएसटीआई में संशोधन, मिशन कर्मयोगी के बृहद उद्देश्यों और निरंतर अधिगम को संस्थागत बनाने तथा दक्षता-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान (सीएसटीआई) की कार्यनीतिक भूमिका के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

एनएससीएसटीआई के कार्यान्वयन की समीक्षा, एक संरचित परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी, जिसमें मौजूदा ढांचे के संबंध में विस्तृत प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रत्यायित सीएसटीआई के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस समीक्षा के निष्कर्षों ने एनएससीएसटीआई 2.0 के तहत ढांचे के पुनर्गठन और मूल्यांकन मेट्रिक्स को 59 से 43 तक तर्कसंगत बनाने हेतु आधार तैयार किया। ये मूल्यांकन मेट्रिक्स, पाठ्यक्रम तैयार करने, संकाय विकास, संसाधन और प्रशिक्षण लक्ष्यों, डिजिटलीकरण तथा प्रशिक्षण प्रदायगी,

प्रशिक्षण मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन, प्रशिक्षण संस्थानों के अभिशासन एवं संचालन कार्यों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एनएससीएसटीआई और एनएससीएसटीआई 2.0 के तहत, आज की तारीख तक, 350 पंजीकृत संस्थानों में से 210 संस्थानों को प्रत्यायित किया गया है। इस मूल्यांकन में प्रशिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर, उन्हें 1 स्टार से 5 स्टार तक की रेटिंग प्रदान की जाती है। अब तक प्रत्यायित किए गए संस्थानों में से 25संस्थानों को 4 स्टार या इससे अधिक की रेटिंग प्राप्त हुई है। शेष संस्थानों की रेटिंग, 3 स्टार या उससे कम की है।

37 संस्थानों को पुनः प्रत्यायित किया गया है, जिसके आधार पर, 14 संस्थानों की रेटिंग में 1 स्टार, 12 संस्थानों की रेटिंग में 2 स्टार, 7 संस्थानों की रेटिंग में 3 स्टार की वृद्धि हुई है, जबकि एक संस्थान में 4 स्टार की वृद्धि देखी गई है।

संस्थानों को, 5 स्तरीय परिपक्वता मॉडल पर मानकीकृत मेट्रिक्स का उपयोग करते हुए, प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन, संकाय विकास, संसाधन और प्रशिक्षण लक्ष्यों, प्रशिक्षु सहायता, डिजिटलीकरण, सहयोग, प्रशिक्षण मूल्यांकन तथा प्रचालन एवं अभिशासन संबंधी कुल 8 मूल्यांकन आधारों में श्रेणीबद्ध किया गया है।

मूल्यांकन के दौरान चिन्हित की गई कमियों को गैप विश्लेषण आधारित गुणवत्ता सुधार योजनाओं (क्यूआईपीएस) के माध्यम से दूर किया जाता है। इस सहायता में परामर्श, संकाय विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री का डिजिटलीकरण, सुदृढ़ अभिशासन तथा निरंतर बेंचमार्किंग एवं सहयोगात्मक पारितंत्र की स्थापना शामिल हैं।
